

गोपनीय अधिकारी

डा० श्रीमाराव आन्वेदकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पंत्राक : एफिल/ ५११ /२००७
दिनांक : १५-०१- २००७

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या,
सर्वोदय महाविद्यालय,
चौमुहां, मथुरा

महोदय,

कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या ई०स० २३५२/जी०एस० दिनांक १५-११-२००६ द्वारा सूचित किया गया है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा उ०प्र० ० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा ३७(२) के अधीन आपके महाविद्यालय/संस्थान को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा (बी०एड०) संकायान्तर्गत सर्वोदय महाविद्यालय, चौमुहां, मथुरा को बी०एड० पाठ्यक्रम में दिनांक १-७-२००५ से उक्त पत्र में उल्लिखित तीन शर्तों के अधीन एक सैक्षण ६० सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

कुलाधिपति सचिवालय के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त विषयों/पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र कुलाधिपति सचिवालय के उक्त पत्र दिनांक १५-११-२००६ में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों को निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लेगा।

- १- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या २८५१/सत्तर-२-२००३/१६(९२) /२००२ दिनांक २ जुलाई, २००३ में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- २- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

गो भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

(2)

3- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमायती/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो १९७० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

यदि प्रबन्धतंत्र कुलाधिपति सचिवालय के पत्र में दंगित कमियों को पूर्ण नहीं करता है तो सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

9
कुलसचिव
Cmle

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

- 1- सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा
- 2- निजी सचिव कुलपति
- 3- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल,
जिला पंचायत परिसर, बालूगंज, आगरा।

कुलसचिव